अनुदान संख्या 57 - दिल्ली स्थानांतरण

GRANT No. 57 - TRANSFERS TO DELHI

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**			
स्वीकृत–	Voted-	1168,00,00	951,00,00	-217,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			217,00,00
पूंजीगतः	**Capital:**			
स्वीकृत–	Voted-	1,00	..	-1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत बचत हुईः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाली संघ क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	116800.00	95100.00	95100.00	..
पु.	R.	-21700.00			

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹200.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹200.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) "विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान – विशेष सहायता – केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता" के अंतर्गत –

(II) Under "Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislatures - Special Assistance - Central Assistance to Union Territories" -

₹21500.00 लाख की बचत (₹116600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जीएनसीटीडी से लंबित ऋण चुकौती के लिए केंद्रीय सहायता जारी न होने और दिल्ली आपदा मोचन निधि से पूर्व में जारी की गई राशि के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

saving of ₹21500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹116600.00 lakhs) was due to non-release of Central Assistance for pending loan repayment from GNCTD and non-receipt of utilization certificate for earlier releases from Delhi Disaster Response Fund.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, एक शीर्ष के अंतर्गत ₹1.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रह गया तथा अंततः उसे अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. In the capital section of the grant, provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head and was eventually surrendered.